Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 56/2014

Bihari Mahto ..... Appellant.

Versus

Tirth Lal Mahto ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.12.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–83/2013–14 में दिनांक–06.12.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उत्तरवादी अनुपस्थित। उत्तरवादी को कई अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी की एक–पक्षीय सुनवाई की गई। इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि C.S. खाता सं0–315, खेसरा सं0–3126, रकवा–60 डी0 भूमि इनके पिता रामचरित्र महतो को भूदान पर्चा से प्राप्त है। जिसका नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। विपक्षी के द्वारा निम्न न्यायालय में प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा बिना स्थल जाँच किये इनके विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। संपुष्टि वाद सं0–1623 दिनांक–05.08.1961 एवं 1622 दिनांक–05.08.1961 द्वारा संपुष्ट होते हुए इन्हें भूदान पर्चा प्राप्त है। C.S. खेसरा सं0–3126 एवं 3127 नया खेसरा सं0–4223 में परिवर्त्तित हुआ है। चूँकि उक्त खाता खेसरा में बड़ा भू–भाग समाहित है। इनके पर्चाधारी भूमि को क्रय नहीं किया जा सकता है। भूमि जब भूदान यज्ञ समिति को दान में दी गई तब किसी कायमीदार या शिकमीदार का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकार दोषग्रसित होने के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी द्वारा पूर्व में प्रत्युत्तर दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। निम्न न्यायालय में इन्हें पक्षकार दोष त्रुटि सुधार का अवसर दिया गया था। इनके द्वारा भूदान भूमि का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इनके पिता सत्यनारायण महतो को खाता सं0–315, खेसरा सं0–3126 एवं 3127 से 1.47 एकड़ भूमि वर्ष–1958	

Web Copy, Not Official.

		में भूदान से प्राप्त हुई है। भूदानी रैयत के कई वंशज आपसी बँटवारे के आधार पर वर्त्तमान में दखलकार हैं जिन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। इनके पिता द्वारा स्थानीय प्रथा अनुसार वर्ष–1977 में शिकमी खाता सं0–247, खेसरा क्रमशः	
	लगातार 16.12.2023	सं0–4223, रकवा–65 डी0 भूमि का शिकमी अधिकार भी क्रय कर दखलकार है। इनके पक्ष में जमाबंदी भी दर्ज है एवं वर्ष–2013 तक भू–लगान भुगतान है। अपीलार्थी इन्हें उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अपीलार्थी को वस्तुतः भूमि की मापी करानी चाहिए। उभय पक्ष भूदान पर्चाधारी है। अपीलार्थी का दावा निराधार है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। पक्षकार को सुनने एवं निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सभी दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में मामले को विधिवत् तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः निम्न न्यायालय किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ रहा। प्रस्तुत वाद को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि मामले से संबंधित सभी पक्षकारों सहित भूदान यज्ञ समिति एवं बिहार सरकार के पक्षों की विधिवत् सुनवाई करते हुए दस्तावेजीय/भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत् एवं न्यायोचित मुखर आदेश (Speaking Order) निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.